(105)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2013—पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 6—5—2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 53/अपील/2011—12.

कन्हैयालाल पुत्र आशाराम गवली
निवासी ग्राम कैली
तहसील रहटगांव जिला हरदा ....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 16/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6—5—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक, रहटगांव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कैली स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 120/8 रकबा 2.023 हेक्टेयर लीला वल्द भगन को कृषि कार्य करने हेतु पट्टे पर दी गई थी । उक्त भूमि को पट्टेदार लीला द्वारा आवेदक कन्हैयालाल को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय कर दिया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का नामांतरण भी प्रश्नाधीन भूमि पर कर दिया गया है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 190/बी—121/10—11 दर्ज कर दिनांक 2—12—11 को आदेश पारित किया जाकर नामांतरण आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासन में निहित किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 6—5—2015 को

आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में केता एवं विकेता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है, जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना हुई है । यह भी कहा गया कि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है, अतः कलेक्टर के अधिकारों का उपयोग अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये जाने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी, किन्तु त्रुटिवश आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है, अतः आयुक्त द्वारा अपील में सुनवाई कर आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, इसी कारण इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं उठाया गया है, और न ही आयुक्त के समक्ष ही क्षेत्राधिकार का कोई आधार लिया गया है, अब जबकि आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर दी गई है, अतः क्षेत्राधिकार का बिन्दु निरर्थक होने से विचारणीय नहीं रह जाता है । अभिलेख से यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया है, अतः गुण–दोष पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर